मेसर्स कैरेवल शिपिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड.

बनाम

मेसर्स प्रीमियर सी फूड्स एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड

(सिविल अपील संख्या 10800-10801/2018)

29 अक्टूबर, 2018

[आर. एफ. नरीमन और नवीन सिन्हा, जे.जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: धाराएँ 7(3), 7(4), 8 -वहन बिल - कोच्चि न्यायालय में प्रतिवादी-प्रेषक द्वारा वसूली का दावा - अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन, जो एसी अधिनियम की धारा 8 के तहत वहन बिल में मध्यस्थता खंड के आधार पर परिवहन की सुविधा के लिए एजेंट है - आवेदन में, यह इंगित किया गया कि धारा 11 के अंतर्गत आवेदन चेन्नई न्यायालय में भी दायर की गयी थी - कोच्चि न्यायालय ने धरा 8 का आवेदन इस आधार पर एस खारिज कर दिया कि वहन बिल के साथ संलग्न मुद्रित शर्तें पक्षों पर बाध्यकारी नहीं होंगी और यह भी कि चूंकि चेन्नई में कार्रवाई का कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं था - उच्च न्यायालय ने कोच्चि न्यायालय के विचार को स्वीकार करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर मूल याचिका को खारिज कर दिया - अपील में, अभिनिर्धारित किया गया: प्रत्यर्थी स्पष्ट रूप से मध्यस्थता खंड से बाध्य होने के लिए सहमत हो गया, इस तथ्य के बावजूद कि यह वहन बिल के साथ संलग्न एक मुद्रित शर्त थी - इसके अलावा, प्रत्यर्थी ने स्वयं अपने वाद हेतुक के हिस्से के रूप में वहन बिल पर भरोसा करके वसूली दावा दायर किया था - इसलिए, प्रत्यर्थी गर्म और ठंडा नहीं हो सकता है और तर्क नहीं दे सकता है कि अपने दावे के उद्देश्य के लिए, वह वहन बिल (हालांकि अहस्ताक्षरित) पर

भरोसा करेगा, लेकिन मध्यस्थता के उद्देश्य के लिए, मध्यस्थता अधिनियम की आवश्यकता कि मध्यस्थता खंड पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, पूरी नहीं होती है - उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाता है।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया : 1. वहन बिल यह स्पष्ट करता है कि "व्यापारी" शब्द (जिसे बहुआयामी परिवहन दस्तावेजों को नियंत्रित करने वाली मानक शर्तों में परिभाषित किया गया है-खंड (1) (ई) जिसका अर्थ है मालवाहक, प्रेषक या प्रेषिती) स्पष्ट रूप से वहन बिल के दोनों ओर के सभी नियमों, शर्तों, खंडों और अपवादों से बाध्य होने के लिए सहमत है, चाहे वह टाइप किया गया हो, मुद्रित हो या अन्यथा। मध्यस्थता खंड के अवलोकन से पता चलता है जो कि खंड 25 वहन बिल के साथ संलग्न एक मुद्रित शर्त है, यह दर्शाता है कि प्रत्यर्थी स्पष्ट रूप से मध्यस्थता खंड द्वारा बाध्य होने के लिए सहमत हो गया है, इस तथ्य के बावजूद कि यह बिल ऑफ लेडिंग के साथ संलग्न एक मुद्रित शर्त है। दूसरा, यह याद रखना चाहिए कि प्रत्यर्थी ने अपने द्वारा दायर मुकदमे में रुपये 26,53,593/- की राशि की वसूली के लिए खंड 5 की कार्रवाई के हिस्से के रूप में स्वयं वहन बिल पर भरोसा किया है। इसलिए प्रत्यर्थी यह तर्क नहीं दे सकता कि वह अपने वाद के उद्देश्य के लिए मध्यस्थता विधेयक (यद्यपि हस्ताक्षरित नहीं है) पर निर्भर करेगा, लेकिन मध्यस्थता अधिनियम की आवश्यकता यह है कि मध्यस्थता खंड पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। [पैरा 7,8] [292-ई-एफ; 293-ए-बी]

2. यह तथ्य कि मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होना चाहिए, 1996 के अधिनियम की धारा 7(3) में जारी है। धारा 7(4) केवल यह जोड़ती है कि एक मध्यस्थता समझौता धारा 7(4) को बनाने वाले तीन उपखंडों में उल्लिखित

परिस्थितियों में पाया जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी मामलों में मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। एकमात्र पूर्व-आवश्यकता यह है कि यह लिखित रूप में हो, जैसा कि धारा 7 (3) में बताया गया है। इस मामले में, वर्तमान एक स्पष्ट मामला है, जहां अधिनियम की धारा 7(5) के तहत वहन बिल में संदर्भ ऐसा है कि मध्यस्थता खंड को पक्षों के बीच अनुबंध का हिस्सा बनाया जाए। [पैरा 9,10] [293-डी-ई]

एम्.आर.इंजिनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सोम दत्त बिल्डर्स लिमिटेड (2009) 7 एससीसी 696 : [2009] 10 एस.सी.आर. 373; जुगल किशोर रामेश्वरदास बनाम श्रीमती गुलबाई होरमुसजी ए.आई.आर. 1955 एस.सी. 812 : [1955] एस. सी. आर. 857-पर निर्भरता।

निर्णय विधि संदर्भ

[2009] 10 एससीआर 373 निर्भरता पैरा 5

[1955] एससीआर 857 निर्भरता पैरा 9

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारिता : सिविल अपील संख्या 10800-10801/ 2018

ओ. पी. (सी) संख्या 522/ 2013 (ओ) में केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम के दिनांक 08.09.2015 के निर्णय और आदेश और आर. पी. संख्या 135/ 2016 में दिनांक 14.06.2016 के निर्णय और आदेश से।

सुश्री लिज़ मैथ्यू, एम. एफ. फिलिप, अधिवक्तागण, अपीलार्थी के लिए।

पी. ए. नूर मुहम्मद, सनी पी. मार्कोस, सुश्री गिफारा एस., बिलाल नियामातुल्ला, अधिवक्तागण, प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, न्यायाधिपति

1. अवकाश अनुदत्त की गई।

2. वर्तमान अपील एक दस्तावेज़ से उत्पन्न होती है जिसकी शैली है "मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट दस्तावेज़/बिल ऑफ लेडिंग" दिनांक 25.10.2008। इस वहन बिल में कहा गया है कि मालवाहक/प्रेषक केरल का एक मेसर्स प्रीमियर सीफूड्स एक्ज़िम प्राइवेट लिमिटेड है, और वह कारवेल शिपिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो हमारे सामने अपीलकर्ता है, एजेंट है जो परिवहन की सुविधा प्रदान करता है। वहन बिल का प्रारंभिक खंड निर्दिष्ट करता हैः

> "इस वहन बिल को स्वीकार करते हुए व्यापारी स्पष्ट रूप से वहन बिल के दोनों तरफ के सभी नियमों, शर्तों, खंडों और अपवादों से बाध्य होने के लिए सहमत होता है, चाहे वह टाइप किया गया हो, मुद्रित हो या अन्यथा।"

3. प्रत्यर्थी ने रुपये 26,53,593/- की राशि की वसूली के लिए कोच्चि में उप-न्यायाधीश के न्यायालय के समक्ष ओ. एस. नंबर 9/ 2009 एक वाद दायर किया। जिसमें वहन बिल को स्पष्ट रूप से वाद हेतुक का एक हिस्सा बताया गया था। वाद दायर किए जाने के तुरंत बाद, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 8 के तहत अपीलार्थी द्वारा आई. ए. संख्या 486/ 2009 एक आई. ए. दायर किया गया था, जिसमें न्यायालय को यह बताया गया था कि मध्यस्थता खंड को वहन बिल के साथ संलग्न मुद्रित शब्दों में शामिल किया गया था। आई.ए.में यह भी बताया कि खंड 25 के अनुसार एक मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए एक धारा 11 की याचिका, जो विचाराधीन

मुद्रित शब्द है, चेन्नई में भी दायर की गई है। कोच्चि की उप-अदालत ने अपने दिनांक 1 के निर्णय दिनांक 08.012013 से आई. ए. को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वहन बिल के साथ संलग्न मुद्रित शर्तें पक्षों के लिए बाध्यकारी नहीं होंगी, और यह भी कि चूंकि चेन्नई में कार्रवाई का कोई कारण सामने नहीं आया है, इसलिए आई. ए. को खारिज करना होगा।

4. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर मूल याचिका में, उच्च न्यायालय ने माल के बहुआयामी परिवहन अधिनियम, 1993 के कुछ प्रावधानों का उल्लेख किया और यह भी कहा कि मध्यस्थता खंड, एक मुद्रित स्थिति में होने के कारण, मध्यस्थता करने का कोई इरादा नहीं है और यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि खंड 25 को प्रतिवादी के ध्यान में लाया गया था, विद्वान उप-न्यायाधीश से सहमत हुए मूल याचिका को खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के खिलाफ दायर एक पुनर्विलोकन को भी दिनांक 14.06.2016 द्वारा खारिज कर दिया गया था।

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री लिज़ मैथ्यू ने बताया कि वहन बिल की मुद्रित शर्तों का उल्लेख वहन बिल में स्पष्ट रूप से किया गया था और दोनों पक्षों को उसी से बाध्य बताया गया था। ऐसा होने पर, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 (5) के अनुसार साथ में इस न्यायालय का निर्णय एम. आर. इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सोम दत्त बिल्डर्स लिमिटेड, (2009) 7 एससीसी 696 में यह स्पष्ट करेगा कि अनुबंध में मध्यस्थता खंड का एक संदर्भ था, और चूंकि यह लिखित रूप में है और संदर्भ ऐसा है कि मध्यस्थता खंड अनुबंध का हिस्सा है, उनके अनुसार, दोनों न्यायालय त्रुटि में थीं। उन्होंने हमें यह भी बताया कि इस बीच, मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक 09.01.2015 के आदेश द्वारा केरल की कार्यवाही का उल्लेख किया है, लेकिन फिर भी मध्यस्थता खंड को लागू किया है और

उस कार्यवाही में पक्षों के बीच मध्यस्थता के लिए एक वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त किया है।

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पी.ए.नूर मुहम्मद ने अधिनियम की धारा 7 (4) की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया और तर्क दिया कि धारा 7(4) (ए) में पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज़ में मध्यस्थता समझौते की आवश्यकता होती है। चूँकि वहन बिल पर उनके मुवक्किल द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, उनके अनुसार, इसलिए वह उस दस्तावेज़ में निहित मध्यस्थता खंड से बाध्य नहीं है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि वर्तमान में वाद का चरण यह है कि विवाधक उठाए गए हैं और एक गवाह से पूछताछ की जा रही है।

7. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि वहन बिल यह स्पष्ट करता है कि "व्यापारी" शब्द (जिसे मानक शर्तों को नियंत्रित करने वाले बहुआयामी परिवहन दस्तावेजों-खंड (1) (ई) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है मालवाहक, प्रेषक या प्रेषिती, स्पष्ट रूप से वहन बिल के दोनों ओर के सभी नियमों, शर्तों, खंडों और अपवादों से बाध्य होने के लिए सहमत है, चाहे वह टाइप किया गया हो, मुद्रित हो या अन्यथा। मध्यस्थता खंड, जो कि खंड 25 है, वहन बिल के साथ संलग्न एक मुद्रित शर्त है, निम्नानुसार हैः

> "25. क्षेत्राधिकार/मध्यस्थताः
>
> वहन बिल द्वारा प्रमाणित अनुबंध भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा, और केवल चेन्नई में न्यायालय के अनन्य अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा। इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाले विवाद/ मतभेद और/या इसके किसी भी खंड की व्याख्या के संबंध में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार भारत में मध्यस्थता द्वारा निपटारा किया

जाएगा। मध्यस्थों की संख्या तीन होगी, मध्यस्थ वाणिज्यिक व्यक्ति होंगे और मध्यस्थता का स्थान चेन्नई होगा।"

8. उसी के अवलोकन से पता चलता है कि प्रतिवादी स्पष्ट रूप से मध्यस्थता खंड द्वारा बाध्य होने के लिए सहमत हो गया है, इस तथ्य के बावजूद कि यह वहन बिल के साथ संलग्न एक मुद्रित शर्त है। दूसरा, यह याद रखना चाहिए कि प्रत्यर्थी ने अपने द्वारा दायर मुकदमे में रुपये 26,53,593/- की राशि की वसूली के लिए वाह हेतुक के हिस्से के रूप में स्वयं वहन बिल पर भरोसा किया है। इसलिए प्रत्यर्थी यह तर्क नहीं दे सकता कि वह अपने वाद के उद्देश्य के लिए मध्यस्थता विधेयक (यद्यपि हस्ताक्षरित नहीं है) पर निर्भर करेगा, लेकिन मध्यस्थता अधिनियम की आवश्यकता यह है कि मध्यस्थता खंड पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

9. इसके अलावा, हम संकेत दे सकते हैं कि इस संबंध में कानून, जुगल किशोर रामेश्वरदास बनाम श्रीमती गुलबाई होरमुसजी, आकाशवाणी 1955 एस.सी. 812 में यह है कि एक मध्यस्थता समझौते को लिखित रूप में होना चाहिए, हालांकि उस पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है। यह तथ्य कि मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होगा, 1996 के अधिनियम की धारा 7 (3) में जारी है। धारा 7(4) केवल यह जोड़ती है कि एक मध्यस्थता समझौता धारा 7 (4) को बनाने वाले तीन उपखंडों में उल्लिखित परिस्थितियों में पाया जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी मामलों में मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है।एकमात्र पूर्व-आवश्यकता यह है कि यह लिखित रूप में हो, जैसा कि धारा 7 (3) में बताया गया है।

10. इस मामले को देखते हुए, वर्तमान एक स्पष्ट मामला है, जहां अधिनियम की धारा 7(5) के तहत एम. आर. इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड

(उपरोक्त) (पैरा 22 और 24) के साथ पढ़ा जाता है, वहन बिल में संदर्भ ऐसा है कि मध्यस्थता खंड को पक्षों के बीच अनुबंध का हिस्सा बनाया जाए।

11. तथ्य यह है कि वर्तमान वाद का चरण यह है कि किसी विशेष गवाह से पूछताछ की जा रही है, यह धारा 8 (3) आवेदन की अनुमति के रास्ते में नहीं आएगा क्योंकि धारा 8 (3) आवेदन उसी वर्ष दायर किया गया था जब वाद दायर किया गया था। हम यह भी जोड़ सकते हैं कि हम माल के बहुआयामी परिवहन अधिनियम, 1993 में इस कारण से नहीं गए हैं कि क्या वर्तमान लेडिंग बिल अधिनियम (विशेष रूप से धारा 26) के प्रावधानों द्वारा शासित है या नहीं, इस स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एक मध्यस्थता खंड पक्षों के बीच एक समझौते का हिस्सा है, और इसलिए, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 द्वारा शासित होगा।

12. इसलिए हम अपील को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय के फैसलों को अपास्त करते हैं।

देविका गुजराल

अपीलों स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।